न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद संख्या :– 61/2021

शीर्षक

1. बद्री पुत्र प्राग उम्र 85 वर्ष जाति जाट निवासी हनुतपुरा उर्फ रूडी, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, (राज.)

– वादी

बनाम

1. रामकुंवार पुत्र मोहरीलाल जाति जाट , निवासी हनुतपुरा उर्फ रूडी, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, (राज.)
   1/1. देवदत्त पुत्र स्व0 रामकुंवार
   1/2. अशोक पुत्र स्व0 रामकुंवार
   1/3. अजय पुत्र स्व0 रामकुंवार
   1/4. राजेश पुत्र स्व0 रामकुंवार
   1/5. हंसा पुत्री स्व0 रामकुंवार
   1/6. सरिता पुत्री स्व0 रामकुंवार
   समस्त जातियान जाट निवासी हनुतपुराउर्फरूडी, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर
2. राजस्थान सरकार (भू–धारक)जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
3. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर।
4. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा तह0 शाहपुरा जयपुर।

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट 1955</u>

निर्णय दिनांक 18.12.2023

1. प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी ख0न0 2615 रकबा 0.80 है0, 4086 रकबा 1.34 है0, 4088 रकबा 0.55 है0, 4089 रकबा 0.50 है0, 4092 रकबा 1.44 है0, 4093 रकबा 0.17 है0, 4094 रकबा 0.42 है0, 4096 रकबा 0.96 है0, 4097 रकबा 1.20 है0, 4129 रकबा 1.10 है0, 4130 रकबा 0.38 है0, 4131 रकबा 0.17 है0, 4132 रकबा 0.80 है0, 4133 रकबा 0.79 है0, 4134 रकबा 1.25 कुल किता 15 कुल रकबा 11.87 है0, भूमि वाके ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूडी पटवार हल्का खोरालाडखानी, भूअनि क्षेत्र खोरालाडखानी, तह0 शाहपुरा जयपुर में स्थित है जो वादी व प्रतिवादी सं0 1 के शामलाती खातेदारी की आराजी है जिसका आज तक कानूनी बंटवारा नही हुआ है।
2. यह कि वाद पत्र के खण्ड सं0 1 में वर्णित वाद अधीन मुतवादिया का आज तक वैधानिक बंटवारा नही हुआ है जबकि वादी व प्रतिवादी सं0 1 बांहमी बंटवारा अनुसार उत्तर दिशा की ओर पूर्व पश्चिम लंबाई में वादी तथा दक्षिण दिशा की ओर पूर्व पश्चिम लंबाई में प्रतिवादी सं0 1 मौके पर काबिज काश्त है तथा वादी ने अपने बांहमी बंटवारे में आई भूमि उत्तरी दिशा की ओर अवस्थित ख0 न0 में 4 बोरिंग व दो विधुत कनेक्शन तथा 4 मकान नोहरा व घरेलू कनेक्शन लेकर मौके पर काबिज काश्त है तथा अर्सा 40 वर्ष से बाहमी बंटवारा के मुताबिक काबिज काश्त है परंतु आज तक वैधानिक बंटवारा नही होने से राजस्व रिकार्ड शामलाती में दर्शाया है।
3. यह कि वादी पत्र के खण्ड सं0 1 में वर्णित वाद अधीन मुतवादिया का राजस्व रिकार्ड शामलाती रहने से प्रतिवादी सं0 1 व उसके परिवारजन आये दिन सींव डोल व अदला बदली को लेकर वादी के साथ आमादा फिसाद रहते है तथा रोज गाली गलौच करते है तथा बांहमी बंटवारा पर नही रहना चाते है तथा वादी को बेदखल करने की धमकी देते है। जिस कारण शामलाती रिकार्ड में काश्त करना संभव नही रहा है।
4. यह कि दिनांक 25.07.2021 को वादी अपने बांहमी बंटवारे में आई वादग्रस्त संपति हिस्सा 1/2 उत्तरी पर बाजरे की फसल की निराई गुडाई कर रहा था कि अचानक प्रतिवादीगण एक राय होकर वादी के हिस्से की भूमि में जबरन घुस आये तथा आते ही गाली गलौच व

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

आमादा फिसाद हो गये तथा जबरन काश्तशुदा भूमि पर कब्जा करने लगे तो वादी ने आस पास के लोग एकत्रित किये तब जाकर उन्हे बमुश्किल समझा तथा वादी ने निवेदन किया कि आपसी सहमति से मौके पर काबिज काश्त अनुसार तहसील कार्यालय चलकर कानूनी बंटवारा करवा लो क्योंकि अर्सा 40 वर्ष पर्व हमने मनबट के आधार पर बंटवारा कर काबिज काश्त है तथा भूमि समतल व विकसित करने में अलग अलग पैसा लगाया है तथा उपजाऊ बनाया है तो वे एकदम नाराज हो गये तथा एलानिया धमकी दी कि कानूनी बंटवारा नही होने देवे ना ही तहसील से सहमति से बंटवारा करेगे जबकि मन माफिक उपजाउ भूमि पर कब्जा करके रहेगे तथा वादी को बाहमी बंटवारे के मुताबिक काबिज नी रहने देगे जबकि यथाशीघ्र बेदखल करके विशिष्ट व उपजाऊ भू–भाग पर कब्जा करके रहेगे अन्यथा मैं काश्त नही करने देगे जिस कारण वादी को अपने विधिक अधिकारो की सुरक्षार्थ अदालत हाजा से दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

यह कि प्रतिवादीगण अपने उपरोक्त अवैध मनसूबे कामयाब हो गये और उन्होने वादी को उसकी कब्जे काश्त की भूमि से जबरन बेदखल कर दिया व उक्त भूमि का कानूनी बंटवारा नही होने या वादी की कब्जेशुदा भूमि पर कब्जा कर लिया तो वादी को इससे नाकाबिले तलाफी होगी । वादी को अकथनीय हानी होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी धनराशि में नही की जाक सकेगी तथा पक्षकारान में अनावश्यक मुदमे बाजी बढेगी।

अन्त में निवेदन किया कि हाल आराजी ख0न0 2615 रकबा 0.80 है0, 4086 रकबा 1.34 है0 4088 रकबा 0.55 है0, 4089 रकबा 0.50 है0, 4092 रकबा 1.44 है0, 4093 रकबा 0.17 है0, 4094 रकबा 0.42 है0, 4096 रकबा 0.96 है0, 4097 रकबा 1.20 है0, 4129 रकबा 1.10 है0, 4130 रकबा 0.38 है0, 4131 रकबा 0.17 है0, 4132 रकबा 0.80 है0, 4133 रकबा 0.79 है0, 4134 रकबा 1.25 कुल किता 15 कुल रकबा 11.87 है0, भूमि वाकै ग्राम हनुतपुरा उर्फ रूडी पटवार हल्का खोरालाडखानी, भूअनि क्षेत्र खोरालाडखानी, तह0 शाहपुरा जयपुर का वादी व प्रतिवादी सं0 1 के मध्य मौके पर काबिज काश्त के मुताबिक रास्ता खाली वगै0 को ध्यान में रखकर कानूनी बंटवारा किया जावे जिसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे। तथा प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वाद पत्र के जिमन नं0 1 में वर्णित भूमि में बाद बंटवारा वादी के हिस्से में आयी भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बेजा मदाखलत पैदा नही करे। वादी को शांति पूर्वक काबिज रहकर काश्त करने देवे व जबरन ताकत के बल पर बेदखल नही करे तथा उक्त आराजी को अन्य दीगर को रहन बय हस्तान्तरण नही करे। जबकि वादी को उक्त भूमि व रास्ते की भूमि का शंति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। बाद तामील प्रतिवादी सं0 1 जरिये अधिवक्ता (अधिवक्ता मदनलाल जाट) उपस्थित। दिनांक 22.11.2021 को वकील प्रतिवादी ने जवाब दावा पेश किया गया । वकील प्रतिवादी द्वारा प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17, 151 सीपीसी पेश किया, वकील वादी द्वारा उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश किया गया तथा वकील उभयपक्ष की उक्त प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा प्रार्थना–पत्र आदेश 6 नियम 17, 151 सीपीसी स्वीकार किया गया तथा वकील प्रतिवादी को संशोधित जवाब दावा पेश करने हेतु हिदायत दी गई। वकील प्रतिवादी ने संशोधित जवाब दावा पेश किया, वकील वादी ने संशोधित जवाब दावा का जवाबुल जवाब पेश करने हेतु अवसर चाहा। वकील वादी ने काउण्टर क्लेम का जवाब पेश किया। वकील उभयपक्ष इस बिन्दू पर बहस करना चाहते है कि वाद में तनकीयात कायम की जावे या प्राथमिक डिक्री की जावे। दिनांक 11.09.2023 को वकील वादी द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पर वकील उभयपक्ष को सुना गया। वकील प्रतिवादी ने कोई आपत्ति जाहिर नही की। अतः प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी स्वीकार किया गया। वकील वादी ने संशोधित शीर्षक पेश किया। वकील प्रतिवादी ने प्रतिवादी सं0 1/1 लगायत 1/6 की ओर से अधिवक्ता मदनलाल जाट ने वकालतनामा पेश किया। वकील उभयपक्ष ने आपसी सहमति से बंटवारा करने हेतु शपथ–पत्र पेश किया तथा प्रकरण में राजीनामे अनुसार प्राथमिक डिक्री करने हेतु निवेदन किया। वकील उभयपक्ष को सुना गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा का है, अतः प्रकरण में प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित समझते है। प्रकरण को दिनांक 11.09.2023 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को बंटवारा प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया ।

8. तहसीलदार शाहपुरा ने अपने पत्र कमांक भू0अ0/2023/4085 दिनांक 14.12.2023 के द्वारा बंटवारा प्रस्ताव प्रेषित किया गया । प्रकरण में वकील उभयपक्ष ने सुनवाई का तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन हेतु उचित अवसर प्रदान किये जाने पर कोई आपत्ति पेश नहीं की ।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

वकील उभयपक्ष ने उपस्थित होकर मुताबिक बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार दावा अंतिम डिक्री किए जाने का निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रस्तुत प्रकरण में सभी खातेदारो को पक्षकार बनाया गया है तथा मुताबिक राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बंटवारा प्रस्ताव सही होने से दावा अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है कि हाल आराजी ख0न0 2615 रकबा 0.80 है0, 4086 रकबा 1.34 है0 4088 रकबा 0.55 है0, 4089 रकबा 0.50 है0, 4092 रकबा 1.44 है0, 4093 रकबा 0.17 है0, 4094 रकबा 0.42 है0, 4096 रकबा 0.96 है0, 4097 रकबा 1.20 है0, 4129 रकबा 1.10 है0, 4130 रकबा 0.38 है0, 4131 रकबा 0.17 है0, 4132 रकबा 0.80 है0, 4133 रकबा 0.79 है0, 4134 रकबा 1.25 कुल किता 15 कुल रकबा 11.87 है0, भूमि वाकै ग्राम हनुतपुराउर्फरूडी पटवार हल्का खोरालाडखानी, भूअनि क्षेत्र खोरालाडखानी, तह0 शाहपुरा जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

बद्री पुत्र प्राग जाति जाट सा0देह खातेदार राहिन संपूर्ण खाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा मनोहरपुर के आराजी ख.न. 2615/1 रकबा 0.6002 है0, 4086/1 रकबा 0.5000 है0, 4088 रकबा 0.5500 है0, 4089 रकबा 0.5000 है0, 4092 रकबा 1.4400 है0, 4093 रकबा 0.1700 है0, 4094/1 रकबा 0.2023 है0, 4096/1 रकबा 0.0730 है0, 4129/1 रकबा 0.0752 है0, 4129/3 रकबा 0.0240 है0, 4131/1 रकबा 0.0836 है0, 4132/1 रकबा 0.7692 है0, 4133 रकबा 0.7900 है0, 4134/1 रकबा 0.1375 है0, कुल किता 14 कुल रकबा 5.9150 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

(1) अजय पुत्र रामकुंवार हि0 1/6 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हि0 1/6 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, (2) अशोक पुत्र रामकुंवार हि0 1/6 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हि0 1/6 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, (3) देवदत्त पुत्र रामकुंवार हि0 1/6 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हि0 1/6 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, (4) राजेश पुत्र रामकुंवार हि0 1/6 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हि0 1/6 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, (5) सरिता देवी पुत्री रामकुंवार हि0 1/6 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हि0 1/6 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, (6) हंसा देवी पुत्री रामकुंवार हि0 1/6 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हि0 1/6 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा के आराजी ख.न. 2615/2 रकबा 0.1998 है0, 4086/2 रकबा 0.8400 है0, 4094/2 रकबा 0.2177 है0, 4096/2 रकबा 0.8870 है0, 4097 रकबा 1.2000 है0, 4129/2 रकबा 1.0008 है0, 4130 रकबा 0.3800 है0, 4131/2 रकबा 0.0468 है0, 4131/3 रकबा 0.0396 है0, 4132/2 रकबा 0.0308 है0, 4134/2 रकबा 1.1125 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 5.9550 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18/12/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

यालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

सीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
संख्या :– 61 / 2021

शीर्षक

1. बद्री पुत्र प्राग उम्र 85 वर्ष जाति जाट निवासी हनुतपुरा उर्फ रूडी, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, (राज.)

– वादी

बनाम

1. रामकुंवार पुत्र मोहरीलाल जाति जाट , निवासी हनुतपुरा उर्फ रूडी, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर, (राज.)
1/1. देवदत्त पुत्र स्व0 रामकुंवार
1/2. अशोक पुत्र स्व0 रामकुंवार
1/3. अजय पुत्र स्व0 रामकुंवार
1/4. राजेश पुत्र स्व0 रामकुंवार
1/5. हंसा पुत्री स्व0 रामकुंवार
1/6. सरिता पुत्री स्व0 रामकुंवार
समस्त जातियान जाट निवासी हनुतपुराउर्फरूडी, तह0 शाहपुरा जिला जयपुर
2. राजस्थान सरकार (भू–धारक)जरिये तहसीलदार तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर, (राज.)
3. शाखा प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा मनोहरपुर तह0 शाहपुरा जयपुर।
4. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा तह0 शाहपुरा जयपुर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आरटीएक्ट 1955

निर्णय दिनांक 18/12/2023

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात अनुसार अंतिम डिकी किया जाता है कि हाल आराजी ख0न0 2615 रकबा 0.80 है0, 4086 रकबा 1.34 है0 4088 रकबा 0.55 है0, 4089 रकबा 0.50 है0, 4092 रकबा 1.44 है0, 4093 रकबा 0.17 है0, 4094 रकबा 0.42 है0, 4096 रकबा 0.96 है0, 4097 रकबा 1.20 है0, 4129 रकबा 1.10 है0, 4130 रकबा 0.38 है0, 4131 रकबा 0.17 है0, 4132 रकबा 0.80 है0, 4133 रकबा 0.79 है0, 4134 रकबा 1.25 कुल किता 15 कुल रकबा 11.87 है0, भूमि वाकै ग्राम हनुतपुराउर्फरूडी पटवार हल्का खोरालाडखानी, भूअनि क्षेत्र खोरालाडखानी, तह0 शाहपुरा जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा निम्नानुसार कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

1. बद्री पुत्र प्राग जाति जाट सा0देह खातेदार राहिन संपूर्ण खाता बैंक ऑफ महाराष्ट्र शाखा मनोहरपुर के आराजी ख.न. 2615/1 रकबा 0.6002 है0, 4086/1 रकबा 0.5000 है0, 4088 रकबा 0.5500 है0, 4089 रकबा 0.5000 है0, 4092 रकबा 1.4400 है0, 4093 रकबा 0.1700 है0, 4094/1 रकबा 0.2023 है0, 4096/1 रकबा 0.0730 है0, 4129/1 रकबा 0.0752 है0, 4129/3 रकबा 0.0240 है0, 4131/1 रकबा 0.0836 है0, 4132/1 रकबा 0.7692 है0, 4133 रकबा 0.7900 है0, 4134/1 रकबा 0.1375 है0, कुल किता 14 कुल रकबा 5.9150 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

2.(1) अजय पुत्र रामकुंवार हि0 1/6 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हि0 1/6 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, (2) अशोक पुत्र रामकुंवार हि0 1/6 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हि0 1/6 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, (3) देवदत्त पुत्र रामकुंवार हि0 1/6 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हि0 1/6 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, (4) राजेश पुत्र रामकुंवार हि0 1/6 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हि0 1/6 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, (5) सरिता देवी पुत्री रामकुंवार हि0 1/6

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा जिला जयपुर

जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हि0 1/6 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा, (6) हंसा देवी पुत्री रामकुंवार हि0 1/6 जाति जाट सा0 देह खातेदार राहिन हि0 1/6 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा शाहपुरा के आराजी ख.न. 2615/2 रकबा 0.1998 है0, 4086/2 रकबा 0.8400 है0, 4094/2 रकबा 0.2177 है0, 4096/2 रकबा 0.8870 है0, 4097 रकबा 1.2000 है0, 4129/2 रकबा 1.0008 है0, 4130 रकबा 0.3800 है0, 4131/2 रकबा 0.0468 है0, 4131/3 रकबा 0.0396 है0, 4132/2 रकबा 0.0308 है0, 4134/2 रकबा 1.1125 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 5.9550 है0 भूमि हिस्से में रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बंटवारे से आई भूमि में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। निर्णयानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें।

निर्णय आज तारीख 18/12/2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
वाद पत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प प्रदर्शों के लिए स्टाम्प ____ रुपये पर प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामील		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	